मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर-नवम्बर, 2006 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 8 नवम्बर, 2006 (कार्तिक 17, 1928)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा-3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार चित्रकूट जांच आयोग का प्रतिवेदन दिनांक 30 दिसम्बर, 2004 द्वारा श्री एन.पी. सिंह (सेवा निवृत्त) न्यायमूर्ति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर शासन के संकल्प सहित पटल पर रखेंगे.

(2) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 38वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2003-2004 वर्ष समाप्ति दिनांक 31 मार्च, 2004 के लिये पटल पर रखेंगे.

(3) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश राज कोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2006-2007 की पहली छः माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय प्रवृत्तियों का छः माही समीक्षा विवरण पटल पर रखेंगे.

(4) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक-2460-मप्रविनिआ-2006, दिनांक 3 अक्टूबर 2006 ; तथा

(ख) क्रमांक-2461-मप्रविनिआ-2006, दिनांक 3 अक्टूबर , 2006

पटल पर रखेंगे.

(5) श्री रमाकांत तिवारी, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के निवाड़ी क्षेत्र में पेयजल संकट होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री प्रेमचन्द गूड्डू, अन्तर सिंह दरबार, सदस्य, इंदौर जिले में विद्युत मण्डल की जामली ग्रिड में अनियमितता होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री अजय सिंह "राहुल भैया", रामलखन शर्मा, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम कटरा में पुलिस द्वारा छात्रों एवं ग्रामीणों के साथ मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) डॉ. सुनीलम्, सर्वश्री अर्जुन पलिया, बंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य, भोपाल के हमीदिया अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार, सभापति, लोक लेखा समिति का 275वां से 303वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का चतुर्थ एवं पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री धरमू राय, सभापति, याचिका समिति का पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के -
(क) ग्राम अलापुर के पास बराडिया नाले पर स्टापडेम-कम-रपटा बनाये जाने,
(ख) ग्राम अलापुर में आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन बनाये जाने,
(ग) ग्राम अलापुर में उप-स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बनाये जाने,
(घ) बड़ोदा नगर की विद्युत समस्या का निदान कराये जाने,
(ङ) बड़ोदा क्षेत्र में 132 के.व्ही. विद्युत सब-स्टेशन स्थापित कराये जाने,
(च) श्योपुर-खातोली मार्ग का उन्नयन कराये जाने,
(छ) श्योपुर बायपास मार्ग का डामरीकरण कराये जाने ; तथा
(ज) कस्बा प्रेमसर स्थित उप-स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन कराये जाने,
(2) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य, राजगढ़ जिले की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने,
(3) श्री अमर सिंह कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के -
(क) ग्राम गुलावता, पठारी, मूंडलालोदा एवं भीकनपुर में तालाब निर्माण कराये जाने,
(ख) ग्राम पाडली, निन्द्राखेड़ी एवं तीतरी में स्टापडेम बनाये जाने,
(ग) सारंगपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों को सड़क मार्ग से जोड़े जाने,
(घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सारंगपुर को सिविल अस्पताल का दर्जा दिलाये जाने ; तथा
(ङ) ग्राम सण्डावता में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(4) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम नई चदेरी से बिलकिसगंज रोड तक कंक्रीट रोड बनाये जाने,
(5) श्री जयराम सिंह मार्को, सदस्य, शहडोल जिले के -
(क) ग्राम पैलवाह स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,
(ख) ग्राम ओढ़की और बुढ़नवाह स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,
(ग) ग्राम बुढ़नवाह में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(घ) ग्राम ओढ़की में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(ङ) ग्राम गोहपारू में आयुर्वेदिक औषधालय का भवन बनाये जाने,
(च) ग्राम सुड़वार के मुड़धवा नाला पर रपटा-कम-स्टापडेम बनाये जाने,
(छ) ग्राम सुड़वार के माध्यमिक शाला और अहरीटोला में हैण्ड पंप लगाये जाने,
(ज) ग्राम सुड़वार को सड़क मार्ग से जोड़े जाने,
(झ) ग्राम केशवाही स्थित चिकित्सालय में डाक्टर व एम्बुलेंस की व्यवस्था किये जाने ; तथा
(ञ) ग्राम केशवाही में स्नातक महाविद्यालय खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक 2006 (क्रमांक 26 सन् 2006) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. (1) प्रदेश में अतिवृष्टि एवं अल्पवर्षा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अश्विन जोशी, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री आरिफ अकील, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, इन्द्रजीत कुमार, रामनिवास रावत, रामलखन शर्मा, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

1 घन्टा 30 मि. (2) प्रदेश में चिकुनगुनिया, मलेरिया, पीलिया, डेंगू बुखार आदि संक्रामक बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री मनमोहन शाह बट्टी, आरिफ अकील, सुखदेव पांसे, रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री सज्जन सिंह वर्मा, श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 7 नवम्बर, 2006